

पत्र संख्या-विधि-2(1)ई-8-डीजल पर प्रवेश कर-126(2008-09)-/ ९७०/ ०८०९०८८

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: ~~नवम्बर~~, 2008

।-।२

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

विषय:- डीजल पर प्रवेश कर की देयता के सम्बन्ध में

कृपया डीजल पर प्रवेश कर की देयता के सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या विधि 2(1)-प्रवेश कर अधि०नियम-173-08-09-294(कैम्प)/0809081/वाणिज्य कर दिनांक 09-11-2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पेट्रोल पम्प डीलर द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थिति का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पेट्रोल पम्प डीलर द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थिति डीजल निर्माता कम्पनी से 16.16 प्रतिशत की दर से मूल्य संवर्धित कर अदा होने की दशा में विज्ञप्ति संख्या क०नि०-२-७६५/ग्यारह-९-(२०३)/९२-उ०प्र० अधि०-३०-०७-आदेश (१०)-२००८ दिनांक 04-03-2008 से अनुमन्य ५ प्रतिशत की छूट (रिवेट) के कारण पेट्रोल पम्प विक्रेता पर प्रवेश कर की देयता नहीं होने की विधिक स्थिति स्पष्ट की गई थी।

2- इस सन्दर्भ में अग्रेतर उल्लेख्य है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति किसी व्यापारी (यथा:-इंडियन आयल कारपोरेशन लि०, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० अथवा किसी अन्य कम्पनी या व्यापारी) द्वारा प्रान्त बाहर से डीजल का आयात किये जाने लिए अथवा किसी अन्य कम्पनी या व्यापारी) द्वारा प्रान्त बाहर से डीजल का आयात किये जाने की दशा में ऐसे आयातक पर उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा 4(6) के प्राविधानों के अधीन प्रवेश कर जमा करने का दायित्व है। ऐसे बिक्रेता को की जाती है द्वारा यदि डीजल की बिक्री दूसरे स्थानीय क्षेत्र के किसी पेट्रोल पम्प डीलर/ क्रेता को की जाती है तो उत्तर प्रदेश के अन्दर मूल्य संवर्धित कर 16.16 प्रतिशत की दर से वसूले जाने का प्राविधान है। डीजल के ऐसे क्रेता / पेट्रोल पम्प को प्रवेश कर की विज्ञप्ति संख्या 765 दिनांक 04-03-2008 का लाभ अनुमन्य होगा और परिणाम स्वरूप ऐसे क्रेता / पेट्रोल पम्प द्वारा प्रवेश कर की देयता शून्य की होगी। अर्थात् ऐसे क्रेता / पेट्रोल पम्प के द्वारा प्रवेश कर जमा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

3- उपरोक्तानुसार यदि उत्तर प्रदेश के आयातक द्वारा प्रवेश कर जमा किया जा चुका है तो दूसरे स्थानीय क्षेत्र के क्रेता / पेट्रोल पम्प द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली 2008 के नियम ५ में प्राविधानित प्रारूप-घ (फर्म डी) ऐसे आयातक व्यापारी को दिया जायेगा तथा ऐसे आयातक व्यापारी द्वारा इस फार्म डी के आधार पर प्रवेश कर की वापसी का

दावा अपने कर निर्धारण अधिकारी से किया जा सकेगा और ऐसे प्रवेश कर की वापसी अनुमत्य होगी।

4- यदि किसी उत्तर प्रदेश के आयातक व्यापारी द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर से डीजल का आयात किया जाता है और इस आयातित डीजल का स्वयं द्वारा उपयोग / उपभोग कर लिया जाता है अथवा उसी स्थानीय क्षेत्र के किसी अन्य क्रेता को माल बेच दिया जाता है तो ऐसी दशा में ऐसे आयातक व्यापारी पर प्रवेश कर का दायित्व है और ऐसे आयातक व्यापारी द्वारा प्रवेश कर जमा किया जायेगा।

5- यहां पर यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रवेश कर नियमावली 2008 के नियम 7 के खण्ड (घ) में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के अन्तर्गत जारी कर बीजक (टैक्स इनवाइस) अथवा बिक्री बीजक (सेल इनवाइस) इस अधिनियम के अन्तर्गत देय प्रवेश कर के भुगतान का प्रमाण माना जायेगा, यदि ऐसे कर बीजक /बिक्री बीजक में तत्समय में प्रवृत्त दर से देय मूल्य संवर्धित कर पृथक से वसूला गया हो।

6- उपरोक्तानुसार आयातक व्यापारी से डीजल खरीदने वाले दूसरे स्थानीय क्षेत्र के क्रेता / पेट्रोल पम्प द्वारा नियमानुसार कर अवधि के लिए नक्शा जमा किया जायेगा।

उक्त निर्देशों के प्रकाश में निम्यानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना/ कराया जाना सुनिश्चित करें।

१५/।।/०७
(अनिल संत)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।